रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 1995/माघ 11, 1916

No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 1995/MAGHA 11, 1916

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1995

सा.का.नि. 47(अ) : राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2) भर्ती नियम, 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2) भर्ती नियम, 1990 में,—

(i) आरम्भिक भाग में "मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "मुख्य इंजीनियर (स्तर 2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ शीर्षक के नीचे नियम 1 के उपनियम (1) में "आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2) भर्ती नियम, 1990" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) भर्ती नियम, 1990" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) अनुसूची में —

(क) स्तम्भ 1 में "मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "मुख्य इंजीनियर (स्तर 2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) स्तम्भ 2 में "(1990)" कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "(1995)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ग) स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति

ऐसा अधीक्षण इंजीनियर (सिविल/विद्युत्)। अधीक्षण सर्वेक्षक, निर्माण (सिविल/विद्युत्) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 :—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी/पदों पर की गई विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2 :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक से कम नहीं है और उन्होंने अपनी परिवीक्षा, यदि विहित हो सफलतापूर्वक पूरी की हो।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 4500—5700 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 3700—5000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल/विद्युत् इंजीनियरी में कोई डिग्री या समतुल्य है।

टिप्पण—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।"

[फा.सं.ए-12011/1/93-सी. डब्ल्यू. I/बी. (डी.)]
नवीन कावला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में तारीख 16 नवम्बर, 1990 को सा.का.नि. सं. 733 तारीख 16 नवम्बर, 1990 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1995

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio Chief Engineer (Civli) (Level-II) Recruitment Rules, 1990, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio Chief Engineer (Civil) (Level II) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. In the All India Radio Chief Engineer (Civil) (Level II) Recruitment Rules, 1990:—

(i) in the opening portion for the words, brackets and figures "Chief Engineer (Civil) (Level II)" the words and brackets "Chief Engineer (Level II)" shall be substituted;

(ii) in rule 1 under the heading short title and commencement in sub-rule (1) for the words, brackets and figures "All India Radio Chief Engineer (Civil) Level II Recruitment Rules, 1990" the words, brackets and figures "All India Radio Chief Engineer (Level II) Recruitment Rules, 1990" shall be substituted:

(iii) In the schedule:—

(a) in column (1) for the words, brackets and figures "Chief Engineer (Civil) Level II" the words, brackets and figures "Chief Engineer (Level II)" shall be substituted;

(b) in column (2) for the brackets and figures "(1990)" the brackets and figures "(1995)" shall be substituted;

(c) in column (12) for the existing entry the following entries shall be substituted:—

"PROMOTION

Superintending Engineer (Civil|Electrical)| Superintending Surveyor of Works (Civil|Electrical) with 7 years regular service in the grade.

NOTE 1.—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade|post.

NOTE 2.—Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying|eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

TRANSFER ON DEPUTATION

OFFICERS OF THE CENTRAL|STATE GOVERNMENTS|UNION TERRITORIES

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) With 2 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 4500-5700 or equivalent; or

(iii) With 7 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; and

(b) Possessing a degree in Civil|Electrical Engineering from a recognised university or equivalent.

NOTE.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation|department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)."

[F. No. A-12011|1|93-CW.I|B(D)]

NAVIN CHAWLA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published vide G.S.R. 733 dated 16th November, 1990 in the Gazette of India dated 16th November, 1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995